



भारत के लिये सूक्ष्म सचिई का महत्व

संदर्भ

16 से 18 जनवरी तक केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 'आधुनिकि कृषिपर नौवाँ अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सचिई सम्मेलन' आयोजित कर रहा है। यह सम्मेलन एक बहु-विषयक संवाद है, जिसमें आधुनिकि कृषि के लिये सूक्ष्म सचिई से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ बेहतर फसल उत्पादकता के लिये नई तकनीकों और क्लस्टर सत्रीय खेती में सूक्ष्म सचिई जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विवरण किया जाना है।

क्या है सूक्ष्म सचिई प्रणाली?

सूक्ष्म सचिई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उत्प्रकरण के पानी देने की सर्वोत्तम एवं आधुनिकि विधिमानी जाती है। सूक्ष्म सचिई प्रणाली में कम पानी से अधिकि कृषितर की सचिई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्रोत से खेत तक पूर्व-निर्धारित मात्रा में पहुँचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाता है, साथ ही यह जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में भी सहायक है। देखने में आया है कि सूक्ष्म सचिई प्रणाली अपनाकर 30-40 फीसदी पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सचिई करने पर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी 'प्रतीबूँद अधिकि फसल' के मशिन के अंतर्गत फववारा (Sprinkler) व टपक (Drop) सचिई पदधतिको बढ़ावा दे रही है। हमारे देश में अधिकांशतः खेतों में सचिई के लिये कच्ची नालियों द्वारा पानी लाया जाता है, जिससे तकरीबन 30-40 फीसदी पानी रसायन की वजह से बेकार चला जाता है। ऐसे में सूक्ष्म सचिई पदधतिका इस्तेमाल करने में फायदा-ही-फायदा है।

सूक्ष्म सचिई प्रणाली की दो प्रमुख विधियाँ

बदलते परदिश्य में सूक्ष्म सचिई प्रणाली को पानी की बचत करने वाली तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। सूक्ष्म सचिई प्रणाली एक उन्नत पदधति है, जिसके प्रयोग से सचिई के दौरान पानी की काप्ती बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सचिई प्रणाली में प्रमुखतः दो विधियाँ- फववारा सचिई व टपक सचिई अधिकि प्रचलित हैं।

फववारा विधि(Sprinkler Method)

फववारा सचिई विधि में पानी का हवा में छिकाव किया जाता है जो कृत्रिम वर्षा का एक रूप है। पानी का छिकाव प्रेशर वाले छोटे नोज़ल से होता है। इस विधि में पानी महीन बूँदों में बदलकर वर्षा की फुहार के समान पौधों के ऊपर गिरता है। स्प्रिंक्लर को फसलों के अनुसार उचित दूरी पर लगाकर पम्प की सहायता से चलाते हैं जिससे पानी तेज बहाव के साथ नकिलता है। स्प्रिंक्लर में लगी नोज़ल पानी को फुहार के रूप में बाहर फेंकती है। पानी की कमी वाले कृषेत्रों में यह विधि बेहद लाभदायक साबित हुई है। सामान्यतः फववारा सचिई सूखाग्रस्त, बलुई मूदा, ऊँची-नीची ज़मीन तथा पानी की कमी वाले कृषेत्रों के लिये उपयोगी है। घास के मैदानों और पार्कों में भी फववारा विधिद्वारा सचिई की जा सकती है। स्प्रिंक्लर को खेत में इधर-उधर भी ले जाया जा सकता है।

फववारा विधि के लाभ

1. इस विधि में सतही सचिई विधियों की तुलना में जल प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है।
2. फसल उत्पादन के लिये अधिकि कृषेत्र उपलब्ध होता है क्योंकि इस विधि में नालियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
3. पानी का लगभग 80-90 प्रतिशत भाग पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि पारंपरिक विधियों लगभग 30-40 फीसदी पानी ही इस्तेमाल हो पाता है।
4. ज़मीन को समतल करने की ज़रूरत नहीं होती, ऊँची-नीची और ढलान वाले स्थानों में भी इससे आसानी से सचिई की जा सकती है।
5. फसलों में कीटों व बीमारियों का खतरा कम होता है, क्योंकि स्प्रिंक्लर्स द्वारा कीटनाशकों का छिकाव बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
6. फसलों में डालने के लिये घुलनशील उत्परकों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है।

टपक विधि(Drop Method)

सचिई की टपक विधि का विकास 1960 के दशक के आरंभ में इज़राइल तथा 1960 के दशक के अंत में ऑस्ट्रेलिया व उत्तरी अमेरिका में हुआ। इस विधि में पाइप लाइन द्वारा पौधों की जड़ों के आस-पास सतह या उप-सतह पर ड्राइपर्स के माध्यम से आवश्यकतानुसार पानी दिया जाता है। इस प्रणाली में बूँद-बूँद द्वारा

फसलों व बागवानी पौधों की सचिर्ई की जाती है। इस वधि से सचिर्ई करने पर लगभग 50 फीसदी पानी की बचत होती है। साथ ही फसल उत्पादन में वृद्धि, खरपतवारों में कमी और फसल उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस वधि में सचिर्ई के साथ उर्वरकों का इस्तेमाल भी कथिया जा सकता है।

टपक वधि के लाभ

- इस वधि से सचिर्ई करने पर परंपरागत वधि की तुलना में लगभग आधा पानी खर्च होता है, क्योंकि पानी सतह पर बहकर मृदा में जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं जाता।
- खेत में खरपतवार कम होते हैं, इसलिये शर्म की आवश्यकता भी कम होती है।
- जलदी-जलदी सचिर्ई करने के कारण जड़ क्षेत्र में अधिक नमी रहती है जिससे लवणों की सांदरता अपेक्षाकृत कम रहती है।
- यह सभी प्रकार की मृदाओं के लिये उपयोगी है, क्योंकि पानी को मृदा के प्रकार के अनुसार नियोजित कथिया जा सकता है।
- भू-क्षरण की संभावना बेहद कम होती है तथा मृदा में नमी की कमी भी नहीं रहती है, जिसका पौधों की वृद्धि और वकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

फर्टिगेशन वधि (Fertigation Method)

फर्टिगेशन दो शब्दों फर्टिलाइजर (उर्वरक) और इरीगेशन (सचिर्ई) से मिलकर बना है। अपेक्षाकृत इस नई वधि में टपक वधि से सचिर्ई करते समय पानी के साथ-साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुँचाया जाता है। फर्टिगेशन को खेतों में उर्वरक डालने की सर्वोत्तम तथा अत्याधुनिक वधिमाना गया है। इस वधि में उर्वरकों को कम मात्रा में कम अंतराल पर पूर्व-नियोजित सचिर्ई के साथ दिया जा सकता है। इससे पौधों को आवश्यकतानुसार पोषक तत्त्व मिल जाते हैं और उर्वरकों का अपव्यय भी नहीं होता। सामान्यतः फर्टिगेशन में तरल उर्वरकों का ही इस्तेमाल कथिया जाता है, लेकिन दानेदार और शुष्क उर्वरकों को भी पानी में घोलकर इस वधि द्वारा दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय सूक्ष्म सचिर्ई मशिन

सूक्ष्म सचिर्ई का राष्ट्रीय मशिन (National Mission on Micro Irrigation-NMMI) जून 2010 में शुरू कथिया गया था। NMMI पानी के इस्तेमाल में बेहतर दक्षता, फसल की उत्पादकता और कसिनों की आय में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन (एनएफएसएम), तलिहनों, दालों एवं मक्का की एकीकृत योजना, कपास पर प्रौद्योगिकी मशिन आदि जैसे बड़े सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत सूक्ष्म सचिर्ई गतिविधियों के समावेश को बढ़ावा देगा। इसके तहत दिये गए दशिया-नियंत्रण पानी के उपयोग की दक्षता में वृद्धि के साथ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करेंगे तथा पानी के खारेपन व जलभराव जैसे मुद्दों का हल भी प्रदान करते हैं।

सूक्ष्म सचिर्ई कोष

- प्रधानमंत्री कृषि सचिर्ई योजना के तहत नाबारड के साथ 5000 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि से 'सूक्ष्म सचिर्ई कोष' (Micro Irrigation Fund-MIF) बनाया गया है।
- इसमें से 2000 करोड़ रुपए 2018-19 और 3000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 2019-20 के दौरान कथिया जाना है।
- नाबारड इस अवधिके दौरान राज्य सरकारों को ऋण का भुगतान करेगा। नाबारड से प्राप्त ऋण राशि द्वारा वर्ष की छूट अवधिसहित सात वर्ष में लौटाई जा सकेगी।
- MIF प्रभावशाली तरीके से और समय पर प्रधानमंत्री कृषि सचिर्ई योजना के प्रमुख घटक 'प्रति बूँद अधिक फसल' के प्रयासों में वृद्धि करेगा।
- इस कोष से वैशिष्ट और नवोन्मेष परियोजनाओं को शामिल करके सूक्ष्म सचिर्ई के दायरे का वसितार करने के लिये संसाधन जुटाने में राज्यों की सहायता की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री कृषि सचिर्ई योजना

जुलाई 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सचिर्ई योजना को मंजूरी दी थी। इसमें पाँच सालों (2015-16 से 2019-20) के लिये 50 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कथिया गया है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में नविश में एकरूपता लाना, 'हर खेत को पानी' के तहत कृषि क्षेत्र का वासितार करना, खेतों में पानी इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बरबादी को रोकना, सही सचिर्ई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना तथा बूँद अधिक फसल आदिशामिल हैं।

देश में कुल 200.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से मात्र 95.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि सचिति है। यह कुल क्षेत्रफल का केवल 48 फीसदी है। ऐसे में 52 फीसदी असचिति कृषि भूमि में उन्नत कृषि हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति करना भी चुनौतीपूरण है। समुचित जल प्रबंधन द्वारा ही इस चुनौती का सामना कथिया जा सकता है। इसके अलावा, भारत में वैश्व वर्षीय आबादी के लगभग 17 फीसदी लोग नविश करते हैं, जबकि देश में वैश्व वर्षीय के केवल 4 फीसदी जल संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में पानी का संरक्षण करने की चुनौती बहुत बड़ी है, जिसमें सूक्ष्म सचिर्ई पद्धतिकापी सहायक सदिध हो सकती है।

